



जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर

प्रधान कार्यालय, झंकार टॉकीज के पीछे, सिविल लाइन (केवरामुण्डा) वार्ड, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

क्रमांक/स्टोर/निविदा/393/2022-23

जगदलपुर, दिनांक 11/05/2022

// Concurrent Audit हेतु निविदा आमंत्रण//

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर के 46 शाखाओं एवं प्रधान कार्यालय का वर्ष 2022-23 का Concurrent Audit किया जाना है। भारतीय रिजर्व बैंक के मापदण्ड अनुसार पात्रता रखने वाले चार्टर्ड एकाउण्टेंट (CA) से दिनांक 26/05/2022 को अपरान्ह 02:30 बजे तक मुहर बंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं नियम शर्तें प्रधान कार्यालय लेखा कक्ष अथवा बैंक की वेबसाइट <https://www.dccbajagdalpur.com> से प्राप्त की जा सकती है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक/स्टोर/ विज्ञापन/393/2022-23

जगदलपुर दिनांक 11/05/2022

प्रति,

1. संपादक महोदय, दैनिक समाचार पत्र कृपया उक्त विज्ञापन न्यूनतम दर में प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।
2. नोडल अधिकारी सी.बी.एस., प्रधान कार्यालय जगदलपुर बैंक की वेबसाइट में उक्त विज्ञापन अपलोड करना सुनिश्चित करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी



जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर

वर्ष 2021-2022 कांक्रिट ऑडिट के नियम एवं शर्तें

परिशिष्ट (1)

1	कांक्रिट आडिट बैंक की 46 शाखा एवं प्रधान कार्यालय का करना होगा।
2	एक तिमाही समाप्त होने के तुरन्त बाद आडिट प्रारंभ करना होगा। तथा दूसरा तिमाही समाप्ति तक प्रथम तिमाही का आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।
3	कांक्रिट आडिट का पारिश्रमिक आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात बिल के साथ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भुगतान होगा इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
4	बैंक के समस्त दस्तावेज की गोपनीयता बनाये रखना होगा।
5	भारतीय रिजर्व बैंक की दिशा-निर्देश के अनुरूप के 0वाय0सी0 की जांच एवं CTR/STR रिपोर्ट, उसकी जानकारी की जांच करनी होगी।
6	अंकेक्षण कार्य के समय व्हाउचर (जमा स्लिप, विड्राल, चेक, ट्रान्सफर व्हाउचर आदि) की जांच से या रिपोर्ट निकाल कर, एवं व्हाउचर में अधिकृत कर्मचारी की सील एवं हस्ताक्षर है या नहीं, की जांच करनी होगी। उसका उल्लेख रिपोर्ट में करना होगा।
7	कैशियर के कैश ड्रावर रिपोर्ट से क्रिस्टल ट्रायल बैलेंस एवं मुम्बई कैश रिपोर्ट से कैश बुक की जांच करना होगा।
8	कैश की जांच (सप्लीमेन्ट्री कन्ट्रोल - 7516) से करना होगा।
9	जनरल लेजर की जांच क्रिस्टल रिपोर्ट से करना होगा।
10	कैश लिमिट की सीमा की जांच BGL-98903(Cash In Hand) से करना होगा।
11	कैश की चाबी एवं पंजी की जांच कर सत्यापन करना होगा।
12	ऋण वितरण से संबंधित दस्तावेज की जांच कर करना होगा।
13	NPA वर्गीकरण का सत्यापन System & Manual से करना होगा।
14	आपके द्वारा प्रस्तुत कोटेशन एवं निगोशिएसन अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान की जावेगी। अंतिम भुगतान आडिट समाप्ति के पश्चात की जावेगी। शाखाओं में गंभीर आपत्ति पाये जाने पर पृथक से टीप प्रस्तुत करना होगा।
15	अमानत पर TDS कटौती की जांच करना होगा।
16	कांक्रिट आडिट का तिमाही आधार पर प्रतिवेदन देना होगा। जिसका शाखाओं से पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसका आगामी तिमाही में सत्यापन करना होगा।
17	GST बिलों की जांच कर कटौती की राशि अपने टीप में उल्लेखित करना होगा।
18	कैश की जांच भी आडिट के दौरान करना होगा। कैश लिमिट के पालन संबंधी टीप देना होगा।
19	लेखा समाधान (अंतर शाखा एवं अन्य बैंको का) तैयार हो रहा है कि नहीं, टीप में उल्लेख करवाना होगा।
20	बैंक द्वारा जिस पर TDS की कटौती होती है उस पर TDS काटा जा रहा है कि नहीं और चालान समय पर भुगतान हो रहा है कि नहीं का जांच कर अपने रिपोर्ट में उल्लेख करना होगा। 15 ^{जी} एवं 15 ^{एच} फार्म की जांच करना होगा।
21	बैंक द्वारा किए जा रहे स्टेशनरी/आकस्मिक व्यय/पोस्टेज/विद्युत व्यय की जांच करना होगा। प्रधान कार्यालय की अनुमति अनुसार न होने पर टीप देना होगा।
22	व्हाउचरों की जांच में मार्किंग अलग रंग की स्याही वाले पेन से करे ताकि आपके जांच का सत्यापन हो सके।
23	सी.बी.एस. के यू.पी.एस./मॉडम, लेन, वायरिंग, ड्यूल कनेक्टिविटी, सी.सी.टी.वी. कैमरा, वी-सेट, सायरन, अग्निशायक यंत्र की जांच करे, सही न होने पर टीप देवे।
24	शाखा के माध्यम से वितरण किए जा रहे म.का. एवं अकृषि ऋण दस्तावेजों की जांच कर टीप देवे।
25	शाखा की साफ सफाई, व्हाउचर, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्थित रखने के संबंध में टीप देवे।

26	नाबार्ड निरीक्षण के लिए आपत्ति का पालन प्रतिवेदन की जांच करना होगा। स्टेटरी आडिट के आपत्ति का पालन प्रतिवेदन की जांच करना होगा।
27	आई.एस. आडिट के आपत्ति का पालन प्रतिवेदन की जांच करना होगा।
28	चेक प्राप्ति संबंधी एल.बी.सी. पंजी की जांच करना होगा। चेक वितरण पंजी, ए.टी.एम. वितरण पंजी का स्टॉक, डेड स्टॉक का सत्यापन कर प्रतिवेदन में उल्लेख करना होगा।
29	म.का. ऋण वितरण का सी.बी.एस. में ली गई प्रविष्टि किशतों का निर्धारण NPA का गणना की जांच करना होगा।
30	नाबार्ड के निर्देश अनुसार प्रतिवेदन एल.एफ.आर. बैंक के निर्धारित प्रारूप में देना होगा।
31	भेंट/निरीक्षण पंजी में टीप अंकित करना होगा।



Chun

मुख्य कार्यापालन अधिकारी

